...ालय सहायक तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 421/18

सरकार बनाम श्री:- रूमा w/o रामनिवास
जाति गुर्जर नि० खावदा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 20/3/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रूमा w/o पुत्र श्री रामनिवास जाति गुर्जर निवासी खावदा तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम आजीपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 490 कुल रकबा 0.06 किस्म गै०मु० आबादी भूमि से 20m² रकबा पर अनाधिकृत रूप से दुकान बनाकर कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.01 का 50 गुना 1.25 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 82 पर
वर्ष 2017-18 में पैनल्टी/भूमि नीलामी
की राशि तादादी रुपये 1.25 पै०
की जमा कायमी की गई ।
दिनांक 20/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा